न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/304

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र बजरंगा जाति अग्रवाल निवासी पीपलदा ।
2. सरूपी बेवा बजरंगा जाति अग्रवाल निवासी पीपलदा तहत तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर (नाम तर्क)

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामसहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
2. रमेश पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
3. हरिप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
4. शांति बेवा चिरंजी लाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
5. संजा बेवा चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
6. तीजो पत्नी रामरायण पुत्री लक्ष्मण जाति बलाई निवासी गुगडोद ।
7. राजेश पुत्र शम्भू जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
8. प्रकाश पुत्र शम्भू जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
9. धूल्या पुत्र बजरंगा जाति बलाई निवासी पीपलदा तहत तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर ।
10. पटवारी हल्का पीपलदा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर ।
11. तहसीलदार, तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/305

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र बजरंगा जाति अग्रवाल निवासी पीपलदा ।
2. सरूपी बेवा बजरंगा जाति अग्रवाल निवासी पीपलदा तहत तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर (नाम तर्क) ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामसहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
2. रमेश पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
3. हरिप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
4. शांति बेवा चिरंजी लाल जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
5. प्रेम पत्नी रमेश जाति बलाई निवासी पीपलदा ।
6. कैलाशी पत्नी हरिप्रसाद जाति बलाई निवासी पीपलदा ।

7. नीलू पत्नी रामसहाय जाति बलाई निवासी पीपलदा तहत तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलो में ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 07.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौंली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने से दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे । ये दोनों अपीलें माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 3.11.2011 से अन्तरित होकर प्राप्त हुई हैं ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 158/05 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का गॉव रेनगॉव के मोहल्ले के पास की आराजी खसरा नम्बर 1326/10, 1326/17 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलम दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट गिर्राज प्रसाद एवं सरूपी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद संख्या 155/05बाबत् बेदखली दिलाये जाने कब्जा व शास्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम पीपलदा की आराजी खसरा नम्बर 1326/6 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने बिना किसी प्राधिकार के तथा अविधिपूर्ण तरीके से वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन दिनांक 29.10.2005 को पश्चिमी मेड को तोडकर चारों तरफ तारबन्दी कर उक्त आराजी में एक पाटौर चढाकर अवैधानिक कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2010 के द्वारा वाद संख्या 158/05 स्वीकार करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया तथा वाद संख्या 155/05 खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुरानी शीट में 1326/6 तरमीम होने के बावजूद उस तरमीम को नहीं होना मानकर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत अपनी तजबीज की है । नक्शा ट्रेस पुरानी शीट खसरा नम्बर 1326/6, 1326/10, 1326/17 को सर्टिफाईड फोटो कोपी में उक्त तरमीम होने के रिकॉर्ड का अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किया बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 निरस्त फरमाये जावें ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 24.01.2011 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को पेश किया है और उसके साथ पेश किये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस पुरानी शीट से खसरा नम्बर 1326/6, 1326/10 एवं 1326/17 पेश की गई है । यह दस्तावेज इस प्रकरण में निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका रिकॉर्ड पर लिया जाना अनिवार्य है ।

9. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । दस्तावेज नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है इस प्रकरण से सम्बन्धित है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1326/6, 1326/10 एवं 1326/17 पीपलदा के रेवेन्यू नक्शे में नया इन्द्राज नहीं है वरन् पुराना इन्द्राज है ऐसी स्थिति में नक्शा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने के कारण न्यायहित में इसे रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. हम इस प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये इस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेते हुए इसके रिवटल में रेस्पोडेन्ट के द्वारा यदि कोई साक्ष्य पेश की जाती है तो उसको भी रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । पेश किये गये दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए अपीलान्ट सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों के बयान अधीनस्थ न्यायालय में करवा सकते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/304 एवं 12/305 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2010 खारिज किये जातें हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज जो रिकॉर्ड पर लिया गया है पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।

13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा